

सं.सं. 500150 / 16 / 13-हिन्दी

दिनांक: 30 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

विषय: सरकारी कामकाज हिन्दी में करने पर नकद प्रोत्साहन पुरस्कार योजना- नकद प्रोत्साहन राशि में वृद्धि

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 15 सितम्बर 1986 की अधिसूचना सं. 500150 / 4 / 3 / 86-हिन्दी एवं 500150 / 16 / 01-हिन्दी दि. 02.07.2001 का अधिकमण करते हुए, सरकारी कामकाज हिन्दी में करने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली नकद राशि को 200 रुपए (दो सौ रुपए) से बढ़ाकर 500 रुपए (पांच सौ रुपए) प्रति तिमाही कर दिया गया है। पुरस्कार की बढ़ी हुई यह राशि 01 अक्टूबर 2013 की तिमाही से लागू होगी।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही (जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च को समाप्त तिमाही) में 500 रुपए का नकद पुरस्कार उस अधिकारी/कर्मचारी को दिया जाएगा जो एक तिमाही में 10,000 शब्द हिन्दी में लिखेंगे। इसी प्रकार, चैक हिन्दी में बनाने पर नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस हेतु हिन्दी भाषी कर्मचारियों को 400 चैक और गैर-हिन्दी भाषी कर्मचारियों को 300 चैक प्रत्येक तिमाही में हिन्दी में तैयार करने होंगे।

सभी वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध है कि वह अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों को इस योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। जोनल/परियोजना कार्यालयों से भी यह अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर इस योजना को लागू करें।

यह अधिसूचना अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से जारी की जा रही है।

(अ. मिश्रा)

(अखिलेश मिश्रा)

महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

प्रतिलिपि:

2. सभी जोनल/परियोजना कार्यालय, एनपीसीसी लिमिटेड
3. सभी विभाग/अनुभाग प्रमुख, एनपीसीसी लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय

अधिसूचना (4/16/13)